सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा, जिला-राजसमन्द

प्रकरण : संख्या - 37/24 शीर्षक ..... बनाम .....

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर सूचना
	26/02/26 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी आवे. उप. । विपक्षी आवे. उप. । प्रार्थी का प्रा. पत्र 212 वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होने से व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नही होने से पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर स्पष्ट नही होने से प्रार्थी का प्रा. प. खारिज किया जाता है व पत्रावली फैसल शुमार की जाती है। मूलवाद के साथ नत्थी की जाती है। फैसल खुली अदालत में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नंबर से कम हो।	

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा